


न्यायालय समक्ष माननीय सदस्य बोर्ड आफ रेवन्यू ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

निगरानी 969-III-15



- 84  
1.4.15
1. रामसुन्दर पिता स्व0 सूर्य प्रसाद त्रिपाठी उम्र 70 वर्ष
  2. अशोक कुमार त्रिपाठी तनय स्व0 गोकर्ण प्रसाद त्रिपाठी उम्र 55 वर्ष
  3. विजय कुमार त्रिपाठी बल्द स्व0 गोकर्ण प्रसाद त्रिपाठी उम्र 50 वर्ष
  4. बबलू उर्फ शंकर त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्री गोकर्ण प्रसाद त्रिपाठी उम्र 82 वर्ष
  5. मु0 सौभाग्या देवी पत्नी स्व0 गोकर्ण प्रसाद त्रिपाठी उम्र 82 वर्ष

सभी निवासी साकिन अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पिता स्व0 अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी (मृत) कथित अपीलार्थी

अनुज कुमार पिता स्व0 लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी उम्र 50 वर्ष (कथित मुख्तारधारी)

विश्वेश्वर तनय जगदीश प्रसाद त्रिपाठी उम्र 65 वर्ष

विनोद कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्रिपाठी उम्र 62 वर्ष

4. प्रमोद पिता जगदीश प्रसाद त्रिपाठी उम्र 58 वर्ष

5. अनिल पिता जगदीश प्रसाद त्रिपाठी उम्र 55 वर्ष

6. अरुण उर्फ पप्पू पिता जगदीश प्रसाद त्रिपाठी उम्र 48 वर्ष

7. अरुण उर्फ नारद पिता स्व0 परमेश्वर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 54 वर्ष

8. वरुण पिता स्व0 परमेश्वर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 52 वर्ष

9. प्रमिल उर्फ गुड्डू पिता स्व0 परमेश्वर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 48 वर्ष

10. अरविन्द उर्फ टिल्लू पिता स्व0 परमेश्वर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 45 वर्ष

11. राजाराम त्रिपाठी पिता स्व0 परमेश्वर प्रसाद त्रिपाठी उम्र 42 वर्ष

सभी निवासी पुरानीबस्ती अमरपाटन तहसील अमरपाटल जिला सतना (म0प्र0)

.....गैर निगराकारगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक. R. 969/III/13..... जिला ... रातना .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/9/15	<p>रामसुन्दर लक्ष्मीनाथराव</p> <p>आवेदक की ओर से आभ० श्री अशोक त्रिपाठी (सक०) उपस्थित। उन्हें प्रकल में प्रत्यक्ष पर सुना गया।</p> <p>आवेदक श्री अशोक त्रिपाठी द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्कों में बताया गया अना० १-बसमा-नाशमठ की मूल्य हेतु है तथा लक्ष्मीनाथराव द्वारा स्वयं कभी कोई आपील प्रस्तुत ही की गई है एवं न ही उनके द्वारा कभी किसी को आम मुदव्या ही नियुक्त किया गया है। लक्ष्मीनाथराव द्वारा कभी कोई आपील की गई है इसका कोई अभिलेखीय प्रमाण नहीं है। लक्ष्मीनाथराव की मूल्य के संबंध में कभी कोई आवेदन एवं उनके बालियों के रिकार्ड पर लेने हेतु समग्र सीमा में कोई आवेदन प्रस्तुत ही किया गया है शिवां स्थिति में अना० अध० के अध्या० में उच्चतम आपील उपस्थित हो जाती है जो उच्चतम योग्य-ही है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही अपील किये जा सिगएनी मेमो में अंकित है जिन्हें उपरोक्त न का विचार में लिया जा रहा है।</p> <p>(उपरोक्त तथ्यों एवं निगएनी मेमो में अंकित तथ्यों एवं कि-द्वारा के प्रम में अधीनत्व-यात्रात्मक के अधीनपित आदेश दिनांक 9-3-15 का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अधीनत्व-यात्रा० द्वारा वही अपील रिकार्ड पर लेने का आवेदन स्वीकार किया जाकर निगएनी मेमो में अधीनत्व के आदेश दिए जाकर प्रकल में अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है प्रकल में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--

किया गया है। ऐसा स्थिति में परिणाम में प्रकाश में किसी भी पक्ष के लिए अन्यायपूर्ण रूप से परिणाम में प्रभावित होने की कोई सम्भावना नहीं है साथ ही उभयपक्ष को अहिंसक तरीके से ही प्रश्न समर्पित करने का पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध है। अतः पक्षों में किसी भी प्रकार में प्रकाश में ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है जिसके फल में प्रकाश ग्राह्य किया जा सके।

प्रकाश में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से प्रकाश ग्राह्य किया जाता है तथा इसी ताल पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार अन्यायपूर्ण है। प्रकाश ग्राह्य है।

  
अध्यक्ष

M